

**प्रपत्र VII**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

या  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा सं० : 766

दिनांक : 4/7/16

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना (ए0डी0बी0 सम्पोषित गोविन्दपुर-जामताड़ा-साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज- 01) हेतु ग्राम-कुम्हारडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-176, अंचल-गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, में कुल 1.6237 एकड़ यानी 0.657 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.6237 एकड़ यानी 0.657 हेक्टेयर है जो ग्राम-कुम्हारडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-176, अंचल-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।


क्र. सं.	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं० (प्लॉट सं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध रैयत का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	26	419	रैयती	गोडा तीन	0.56	1. अब्दुल रहमान, पिता-स्व० गुलाम रसूल अंसारी, 2. मो० मुरताक, पिता-स्व० गुलाम रसूल 3. सुधीर कुम्भकार, मंगल कुम्भकार पिता-स्व० पंचानंद कुम्भकार 4. कैलाश कुम्भकार, बिंदावन कुम्भकार, लक्ष्मी नारायण कुम्भकार पिता-स्व० नीलकंठ कुम्भकार 5. मनोहर, फनी, प्रयाग, सुबल, अमल, विमल, श्यामल, कृष्णापद कुम्भकार पिता-स्व० वैकुण्ठ कुम्भकार सा०- कुम्हारडीह	420	418	419	419
2.	26	422	रैयती	गोडा तीन	0.17	1. अख्तर हुसैन पिता-स्व० याक़ुब अंसारी एवं अन्य। 2. माहताब आलम पिता-हाफिज जुबैर अहमद	423	420	422	421

3.	29	420	रैयती	गोडा तीन	0.12	1.अख्तर हुसैन पिता-स्व० याक़ुब अंसारी 2.अहमद अंसारी पिता-स्व० अब्दुल सत्तार अंसारी एवं अन्य 3.माहताब आत्म पिता-हाफ़िज़ जुबैर अहमद	422	419	420 अंश	421
4.	24	332	रैयती	गोडा तीन	0.7737	1.अखिलानन्द सिंह पिता-शिव जी सिंह सा०-गोविन्दपुर एवं अनिल कुमार पिता-स्व० गोखुल कुमार सा०-कुम्हारडीह 2. गणेश मुड़र्यो पिता-स्व० भागवत मुड़र्यो, सा०-धनसार, 3. बेबी देवी पति-श्री जानकी चौहान सा०-कोयरीचौध इरिया 4. गोविन्दराम पाल पिता-स्व० श्रीपथ पाल सा०-मटकुरिया 5. राम निवास कुमार पंडित पिता-श्री राजकिशोर पंडित सा०-धनसार 6. उर्मिला देवी पति-बिपिन बिहारी मिश्रा सा०-कुसुण्डा 7. दिनेश कुमार नोनिया पिता-स्व० राम दहिन नोनिया सा०-मटकुरिया 8. पिकी कुमारी पति-श्री कुमार नीरज सा०-सेंट्रल कालोनी गकोली 9. शांति देवी पति-श्री शिव ब्रत नोनिया सा०-चन्द्रपुरा 10. निताइ रविदास पिता-स्व० भूषण रविदास सा०-कुम्हारडीह	331	448 . 449 . 494	332 अंश	332 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

ग्राम-कुम्हारडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-176, अंचल-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद, क्षेत्रफल- 1.6237 एकड़ यानी 0.657 हे० जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं-  
लागू नहीं है।

  
उपयुक्त,  
धनबाद।

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा सं० : 767

दिनांक : ५/११/१६

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना (ए०डी०बी० सम्पोषित गोविन्दपुर, -जामताड़ा-साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज-01) हेतु ग्राम- मोहलीडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-274 अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद में कुल 0.08 एकड़ यानी 0.033 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.08 एकड़ यानी 0.033 हेक्टेयर है जो ग्राम- मोहलीडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-274 अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।


क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं० (प्लॉट सं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितमद्द रैयत का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	09	1491	रैयती	गोड़ा तीन	0.08	1. खिरू मंडल पिता रव० दीनु मंडल 2. राजू मंडल एवं माजू मंडल पिता स्व० रमन मंडल 3. समर मंडल पिता स्व० ज्ञानकी मंडल 4. यशोदा देवी पति रव० नन्द लाल मंडल 5. गुनी मंडल पिता रव० नाथू मंडल 6. रजनी देवी पति रव० गुन्नु मंडल 7. रामचन्द्र मंडल एवं सरयू मंडल पिता रव० प्रीतम मंडल 8. बुधन मंडल, गुरुदयाल मंडल एवं सुरेश मंडल पिता रव० सुकर मंडल 9. गुड़िया देवी व माला देवी पिता रव० मोती लाल मंडल 10. धोकल मंडल एवं फूलचंद मंडल पिता रव० डिबू मंडल 11. दिनेश मंडल पिता रव० नदी मंडल साकिन निज ग्राम।	आंशिक सर्वे प्लॉट सं०- 1492	ग्रामीण सीमा रेखा, गीजा - घोसालडीह थाना नं०- 280	आंशिक सर्वे प्लॉट सं०- 1492	आंशिक सर्वे प्लॉट सं०- 1491,

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-३०/२०१३ की धारा १५ में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम- मोहलीडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-२७४ अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद, क्षेत्रफल-०.०८ एकड़ यानी ०.०३३ हे० जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:-

लागू नहीं है।

  
12/16  
उपायुक्त,  
धनबाद।

**प्रपत्र VII**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

या  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा सं० : 768

दिनांक : 4/7/16

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना (ए0डी0बी0 सम्पोषित गोविन्दपुर,-जामताड़ा-साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज-01) हेतु ग्राम- घोषालडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-280, अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद, में कुल 0.19 एकड़ यानी 0.077 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.19 एकड़ यानी 0.077 हेक्टेयर है जो ग्राम- घोषालडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-280, अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद, में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।


क. सं.	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं० (प्लॉट सं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध रैगट का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	17	26	रैगटी	गोड़ा तीन	0.19	1. खिरु मंडल पिता स्व० रीनु मंडल 2. राजू मंडल एवं गानू मंडल पिता स्व० रमन मंडल 3. रामर मंडल पिता स्व० जानकी मंडल 4. यशोदा देवी पति स्व० नन्द लाल मंडल 5. मुनी मंडल पिता स्व० गानू मंडल साकिन निज ग्राम।	ग्रामीण सीमा रेखा ग्राम मोहलीह मौजा नं०-274	जोड़िया	आंशिक सर्वे प्लॉट सं० 26 एवं सम्पूर्ण सर्वे प्लॉट सं०-27	आंशिक सर्वे प्लॉट सं० -26

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

ग्राम- घोषालडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-280, अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला-  
धनबाद, क्षेत्रफल-0.19 एकड़, यानी 0.077 हे० जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के  
कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:-

लागू नहीं है।

  
2/1/16  
उपायुक्त,  
धनबाद।

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा सं० : 769

दिनांक : 4/7/66

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना (ए०डी०बी० सम्पोषित गोविन्दपुर, -जामताड़ा-साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज-01) हेतु ग्राम-लाहेरडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-153 अंचल-गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, में कुल 0.11 एकड़ यानी- 0.0445 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.11 एकड़ यानी- 0.0445 हेक्टेयर है जो ग्राम-लाहेरडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-153 अंचल-गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं० (प्लॉट सं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध रैयत का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
							1640	1590	1634, 1635	1587, 1588
1.	69	1589	रैयती	गोडा तीन	0.11	1. अब्दुल अंसारी, रियाज अंसारी एवं गोफिजुद्दीन अंसारी पिता स्व० मोर्कान गिराँ				
						2. शेर मोहम्मद अंसार एवं अली मोहम्मद अंसारी पिता स्व० इस्माइल अंसारी साकिन निज ग्राम।				


यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण

पुनर्व्यस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

ग्राम-लाहेरडीह, थाना-गोविन्दपुर, थाना सं०-153 अंचल-गोविन्दपुर, जिला- धनबाद,  
क्षेत्रफल- 0.11 एकड़ यानी- 0.0445 हे० जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:-

लागू नहीं है।

  
जम्मुक्त,  
धनबाद।